ग्राम पंचायत राख़, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत राख़, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनू कुमारी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री भूषण कुमार	01-04-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत राख़ के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	28.80

2.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	3.80
3.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.09
4.	8	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.82
5.	10	ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना	31.11
6.	11	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.03

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्रायः यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है । अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 124 (A) दिनांक 02.12.23 की अनुपालना में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2014 से 03/2017" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	Para settled during Audit compliance at dharmshala
2	पैरा 4	निर्णीत	Para settled during Audit

			compliance at dharmshala
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7 (क)	निर्णीत	Para settled during Audit compliance at dharmshala
6	पैरा 8	निर्णीत	Para settled during Audit compliance at dharmshala
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत राख़, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 02-12-2023 से दिनांक 11-12-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय, राख़ में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	12/21	11/21
2022-23	03/23	02/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत राख़, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 132 दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राख़ से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत राख़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत राख़ के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	257659.07	190703.00	448362.07	178288.00	270074.07
2022-23	270074.07	77087.00	347161.07	88786.00	258375.07

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत राख़ के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	1008960.00	6072490.00	7081450.00	5462818.00	1618632.00
2022-23	1618632.00	5323046.00	6941678.00	4062010.00	2879668.00

{ग} दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	**शीर्ष**	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1.	General/5th FC/DPO GRANT	KCC	20081005368	356759.07
2.	14 FC	CANRA	4609101001673	464
3.	15 FC	CANRA	4609101002734	1261573
4.	VKVNY	HGB	87710100102652	65154
5.	SDP/SDRF/TADP	HGB	87710100102722	927270
6.	SBM	HGB	87710100101246	0
7.	PS	HGB	87710100102670	8936
8.	MMGPY	HGB	8771010011487I	2948
9.	MPLAD	HGB	87710100102698	494540
10.	ZP	HGB	87710100102689	20217
11.		हस्तगत रोकड़		182
		कुल योग		**3138043.07**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**3138043.07**
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**3138043.07**
अंतर	**0**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹28.80 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹2879668.00 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130(1) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राख़ से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP.RAKH-02 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹3.80 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	11/21	67233.00	192293.00	125060.00	465465.00	471065.00	5600.00
2	12/21	163260.00	0.00	163260.00	3282.00	41306.00	38024.00
3	2/23	908435.00	1418133.00	509698.00	417649.00	417649.00	0.00
4	3/23	419017.00	451590.00	32573.00	136648.00	137049.00	401.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
	21-22	**2146238.00**	**2225509.00**	**79271.00**	**1544337.00**	**1603422.00**	**59085.00**
	22-23	**3859717.00**	**3932525.00**	**72808.00**	**2624523.00**	**2683188.00**	**58665.00**

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	3518179.50 + 28(Cash in Hand) = 3518207.50	**3138043.07**	380164.43

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130(3) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP.RAKH-02 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.09 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना (**परिशिष्ट-2**) के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹9400 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर**	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2021-22	450	50	43500	22500	66000	35500	30500
2022-23	450	50	30500	22500	53000	43600	9400

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि

पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130(2) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP.RAKH-02 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार व अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.82 लाख की राजस्व हानिः-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**81856**/- का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	131.55	1.62	213.11	60	12787
बजरी	238.60	1.52	362.67	60	21760
रेत	104.79	1.62	169.76	80	13581
बजरी	142.74	1.52	216.96	80	17357
कुल योग					**65485**

पेनल्टी 25%	**16371**
कुल योग	**81856/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131(4) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP.RAKH-02 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹81856/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

9. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1	निर्माण इंटरलॉकिंग टाइल्स लिंक रोड से मणिमहेश मन्दिर तक	SDP	175000	12384/98-99
2.	कम्पलीशन श्मशान घाट राख	SDP	150000	12442/8-10
3.	निर्माण पक्का रास्ता संजय के घर से शिव मंदिर तक	MMGPY	200000	12442/05-06
4.	निर्माण रास्ता डंगा करतार की दुकान से रवि के घर तक	मनरेगा	180000	12442/98,12442/7,16, 33-36

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131(5) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP.RAKH-02 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि ₹31.11 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत **द्वारा** निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आभाव में भुगतान की गई राशि के व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**निर्माण कार्य का नाम**	**शीर्ष**	**स्वीकृत राशि**
1.	निर्माण रास्ता चरजू देवीके घर के पास	SDRF	37000
2.	निर्माण मीटिंग हॉल/सभा कक्ष ग्राम पंचायत राख	DPO GRANT	604000
3.	Nirman protection wall in the land of rinku ram s/o madho ram ward no. 2	मनरेगा	50000
4.	निर्माण कुहल प्यार चन्द हाउस से नाले तक	मनरेगा	300000
5.	निर्माण कुहल देवी सिंह की जमीन से संसार चन्द की जमीन के समीप	मनरेगा	150000
6.	निर्माण नई कुहल प्यार चन्द के घर सेमंगल की दुकान तक	मनरेगा	200000
7.	निर्माणनई कुहल मिलाप चन्द के घर से मैहर च्चन्द की जमीन तक वार्ड न० 2	मनरेगा	170000
8.	निर्माण वाटर टेंक , भूटट्र राम पुत्र श्री रघु राम की जमीन में वार्ड न०5	मनरेगा	100000
9.	निर्माण वाटर टेंक , जगदीश चंद पुत्र श्री चौकस राम की जमीन में वार्ड न०5	मनरेगा	100000
10.	निर्माण खेल मैदान , होली स्क्वूल वार्ड न० 4	मनरेगा	300000
11.	निर्माण जीप रोड कुलदीप की दुकान से लिंगटी पुल तक	मनरेगा	200000

	ग्राम पंचायत राख		
12.	निर्माण जीप रोड विजय के घर से ज्ञान चन्द की दुकान तक वार्ड न० 2	मनरेगा	300000
13.	निर्माण जीप रोड रतन चन्द की जमीन से हेम राज के घर तक वार्ड न० 2	मनरेगा	200000
14.	निर्माण जीप रोड और पुली, सरन की जमीन से होली तक वार्ड न० 4 ग्राम पंचायत राख	मनरेगा	200000
15.	निर्माण जीप रोड मैन रस्ते से अशोक कुमार के घर तक वार्ड न० 5	मनरेगा	200000
		कुल राशि	3111000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131(6) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP.RAKH-02दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा|

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण औचित्यपूर्ण स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.03 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शेट्रिंग) का निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, शेट्रिंग) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या/ पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	निर्माण कुहल ज्ञान चन्द के घर से मदन लाल की जामीन तक वार्ड नo 4 (मनरेगा शीर्ष)	12479, पृष्ट संख्या 12,20,42 व माप पुस्तिका संख्या 12442, पृष्ट संख्या 37,66	रेत	300 cft	279 cft	21 cft	48.00	1008
			सीमेंट	70 बैग	66 बैग	4 बैग	385.00	1540
				कुल योग				**2548/-**
2	निर्माण रास्ता डंगा करतार की दुकान से रवि के घर तक (मनरेगा शीर्ष)	12479, पृष्ट संख्या 7,16,33-36	शेट्रिंग	300 cft	280 cft	20 cft	10.00	200
							योग	**200/-**
							कुल योग	**2748/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131(8),(9)) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP.RAKH-02दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त

राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131(10) दिनांक 11.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP.RAKH-02दिनांक 11.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
2.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
4.	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0 प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

15. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

16. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

08 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

718-722

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)189/2018—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत राख, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT RAKH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176059

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	257659.07	190703.00	448362.07	178288.00	270074.07

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **257659.07**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT RAKH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176059

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	270074.07	77087.00	347161.07	88786.00	258375.07

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **270074.07**

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT RAKH
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA. H

J.A

18

परिशिष्ट / पैरा - 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP RAKH BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	115493	3880.00	119373.00	107763.00	11610.00
2	MGNREGA	0	4037684.00	4037684.00	4037684.00	0.00
3	ZP	19087	578.00	19665.00	0.00	19665.00
4	5TH FC	182388	199056.00	381444.00	331928	49516.00
5	AAY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	134826	1570.00	136396.00	117242.00	19154.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	54813	1576.00	56389.00	10000	46389.00
9	SDRF	22924	177000.00	199924.00	103781.00	96143.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	71110	29516.00	100626.00	92082.00	8544.00
12	TADP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	39873	1210.00	41083.00	0.00	41083.00
14	SDP	33817	752185.00	786002.00	519461.00	266541.00
15	MMGPY	0	151678.00	151678.00	126251.00	25427.00
16	15TH FC	334629	716557.00	1051186.00	16626.00	1034560.00
	TOTAL	**1008960.00**	**6072490.00**	**7081450.00**	**5462818.00**	**1618632.00**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP RAKH BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	11610.00	6374.00	17984.00	17520.00	464.00
2	MGNREGA	0.00	1467608.00	1467608.00	1467608.00	0.00
3	ZP	19665.00	552.00	20217.00	0.00	20217.00
4	5TH FC	49516.00	630200	679716.00	581150	98566.00
5	AAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	19154.00	685920	705074.00	210534	494540.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	46389.00	261765	308154.00	243000	65154.00
9	SDRF	96143.00	360000.00	456143.00	194496.00	261647.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	8544.00	392.00	8936.00	0.00	8936.00
12	TADP	0.00	150000.00	150000.00	134737.00	15263.00
13	SBM	41083.00	296.00	41379.00	41379.00	0.00
14	SDP	266541.00	486567.00	753108.00	102748.00	650360.00
15	MMGPY	25427.00	47570.00	72997.00	70049.00	2948.00
16	15TH FC	1034560.00	1225802.00	2260362.00	998789.00	1261573.00
	TOTAL	**1618632.00**	**5323046.00**	**6941678.00**	**4062010.00**	**2879668.00**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **1618632.00**

PRADHAN Anu SECY

GRAM PANCHAYAT RAKH
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.

J.A

BANK DETAIL OF GP RAKH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC/DPO	KCC	20081005368	439526.07
2	14 FC	CANRA	4609101001673	115493
3	15 FC	CANRA	4609101002734	334629
4	VKVNY	HGB	87710100102652	54813
5	SDP/SDRF/TADP	HGB	87710100102722	56741
6	SBM	HGB	87710100101246	39873
7	PS	HGB	87710100102670	71110
8	MMGPY	HGB	87710100114871	0
9	MPLAD	HGB	87710100102698	134826
10	ZP	HGB	87710100102689	19087
14	CASH IN HAND			521
			TOTAL	1266619.07

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC/DPO	KCC	20081005368	319069.07
2	14 FC	CANRA	4609101001673	11610
3	15 FC	CANRA	4609101002734	1034560
4	VKVNY	HGB	87710100102652	46389
5	SDP/SDRF/TADP	HGB	87710100102722	362684
6	SBM	HGB	87710100101246	41083
7	PS	HGB	87710100102670	8544
8	MMGPY	HGB	87710100114871	25427
9	MPLAD	HGB	87710100102698	19154
10	ZP	HGB	87710100102689	19665
14	CASH IN HAND			669
			TOTAL	1888854.07

BANK DETAIL OF GP RAKH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC/DPO	KCC	20081005368	356759.07
2	14 FC	CANRA	4609101001673	464
3	15 FC	CANRA	4609101002734	1261573
4	VKVNY	HGB	87710100102652	65154
5	SDP/SDRF/TADP	HGB	87710100102722	927270
6	SBM	HGB	87710100101246	0
7	PS	HGB	87710100102670	8936
8	MMGPY	HGB	87710100114871	2948
9	MPLAD	HGB	87710100102698	494540
10	ZP	HGB	87710100102689	20217
14	CASH IN HAND			182
			TOTAL	3138043.07

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT RAKH
DEV. … BHAWARNA, KANGRA, H.

"पैरा-7 के संदर्भ में" "परिशिष्ट-2"

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT RAKH BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	450	50	43500	22500	66000	35500	30500

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT BALLA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	450	50	30500	22500	53000	43600	9400

-11-

SECY

PRADHAN Anu
GRAM PANCHAYAT RAKH
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA. H.

PANCHAYATI RAJ

J.A